मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

ासीन अधिकारी :– सत्यनारायणआर.ए.एस

स्व वाद संख्या :– 197/2024

रुपेन्द्र गोदारा पुत्र श्योकरण गोदारा जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री दिनांक :– 30.10.24

वादी की ओर से श्री अरविन्द नैण अधिववता व पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद ाज तारीख .... को सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नंम्बर 8 एम.के.एस खाता संख्या 119/104 में वादी का नाम रुपेन्द्र कुमार पुत्र श्योकरण तथा चक नंम्बर 8 एस. न के खाता संख्या 120/113 में वादी का नाम रुपेन्द्र पुत्र श्योकरण तथा चक नंम्बर 8 एम. स के खाता संख्या 117/53 में वादी का नाम रुपेन्द्र कुमार पुत्र श्यौकरण के स्थान पर सही रुपेन्द्र गोदारा पुत्र श्योकरण गोदारा नाम अंकित किया जावे। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक रण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार ी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार स्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। खर्चा फरीकैन ना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 30.10.24 को मेरे हस्ताक्षर से और यालय की मुद्रा से जारी की गई

र

(सत्यनारायण आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
ाद पत्र के लिये स्टाम्प	[illegible]	[illegible]	——
ाक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	——	अर्जी के [illegible]	——
दर्शो के लिये स्टाम्प	[illegible]	[illegible]	——
ुपये पर प्लीडर की फीस	[illegible]	[illegible]	——
ाक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	——	आदेशिका की तामिल	——
कमिश्नर की फीस	——	कमिश्नर की फीस	——
ादेशिका की तामिल	——		
ोग	——	योग	——

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.08 15:53:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner